Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 4 | ISSN : 2582-0095

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का शैक्षिक गुणवत्ता में योगदान

डॉ0 धर्मेन्द्र कुमार वैश्य
असि0प्रोफेसर, शिक्षक–शिक्षा विभाग,
आर0आर0पी0जी0 कालेज, अमेठी, उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 5, Issue 4
Page Number : 27-36

Publication Issue :
July-August-2022

Article History
Accepted : 20 July 2022
Published : 30 July 2022

सारांश– राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति (New National Education Policy-2020) यह इस संदर्भ में है कि शिक्षा क्षेत्र को 21 वीं सदी की मांगों और लोगों और देश की जरूरतों के प्रति खुद को तैयार करने की जरूरत है। क्वालिटी, इनोवेशन और रिसर्च स्तम्भ हों तो, जिन पर भारत एक ज्ञान सुपर पावर बनेगा। इसलिए हमारे देश इस नई शिक्षा नीति की जरूरत है। "गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आशय ऐसी शिक्षा से है जो प्रत्येक बच्चे के काम आये। इसके साथ ही हर बच्चे की क्षमताओं के सम्पूर्ण विकास में समान रूप से उपयोगी हो।"_अनुसंधान एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो नये ज्ञान को प्रकाशन में लाती है अथवा पुरानी त्रुटियों एवं भ्रान्त धारणाओं का परिमार्जन करती है तथा व्यवस्थित रूप में वर्तमान ज्ञान–कोष में वृद्धि करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NPE-2020) का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण सस्ती व समावेशी शिक्षा प्रदान करते हुए स्कूल शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करना है तथा इस बीच समाज के सामाजिक व शैक्षणिक पक्ष से वंचित रहे समूहों के बच्चों पर विशेष बल दिया गया है। यह एक श्रेष्ठभारत के निर्माण की ओर एक भविष्य मुखी उद्यम है विगत शिक्षा नीतियों का अधिकतर ध्यान स्कूल शिक्षा देने में पहुँच व समानता के मुद्दों पर केन्द्रित किया जाता रहा था, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 "एक जीवंत भारत की नीव रखने का संकल्प लेती है, जहां कोई भी स्कूल शिक्षा से वंचित न रहे, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को सच्चे अर्थों में राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाने में सहायता मिल सके। 'राष्ट्रीय शिक्षानीति–1986, जिसमें 1992 में संशोधन किया गया था के अपूर्ण एजेन्डे को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रभावशाली ढंग से सम्पन्न किया गया है तथा इसके द्वारा निःशुक्ल व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के पीछे की अंतर्दृष्टि के द्वारा 'व्यापक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु कानूनी मदद् मिली।'

मुख्य शब्द– नई राष्ट्रीय, शिक्षा, नीति, "गुणवत्तापूर्ण, शिक्षा, अधिकार, निर्माण, अधिनियम।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

प्रस्तावना : नई शिक्षा नीति का निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Reserch Organasation) (ISRO) प्रमुख डॉ0 के0 कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, इस समिति ने मई 2019 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा' प्रस्तुत किया था, जो हाल ही में केन्द्र सरकार ने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy-2020)' को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (National Policy of Education (NPE) 1986)' को प्रतिस्थापित करेगी।

राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की अविवादित भूमिका के कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 विद्यालय की आधारभूत संरचना व अध्यापकों की गुणवत्ता व मान्यता पर पूरी तरह सही ढंग से बल देती है। क्योंकि जवाब देह पारदर्शी व उसका किफायती होना समय की आवश्यकता है तथा इसीलिए स्कूलों व अध्यापकों को विश्वास के साथ अधिकार देने, उन्हें उत्कृष्ट बनाने हेतु प्रयास करने व अपना बहुत अच्छा कार्य निष्पादन प्रस्तुत करने योग्य बनाने के साथ–साथ इसे पूरी तरह पारदर्शिता से क्रियान्वित करके प्रणाली की अखण्डता को सुनिश्चित करने व सभी वित्तीय स्थितियों, कार्य, विधियों व परिणामों को जनता के समक्ष पूरी तरह उजागर करना आवश्यक है। स्कूल परिसरों व समूहों के द्वारा कार्यकुशल ढंग से स्रोत इकट्ठे करने व प्रभावी शासन की आवश्यकता है जो कि एक महत्वपूर्ण पहल है क्योंकि इस तथ्य से सभी भलीभांति वाकिफ है कि भारत के 289 प्रतिशत सरकारी प्राइमरी स्कूलों व 14.8 प्रतिशत अपर प्राइमरी स्कूलों में 30 से कम विद्यार्थी हैं। वर्ष 2016–17 में प्राइमरी स्कूलिंग प्रणाली में ग्रेड विद्यार्थियों की औसत संख्या ग्रेड 1 से 8 तक लगभग 14 थी तथा 6 से कम विद्यार्थियों का वर्णनीय अनुपात था, उसी वर्ष 108017 स्कूल केवल एक ही अध्यापक के सहारे चल रहे थे तथा उनमें से अधिकतर 85,743 प्राइमरी स्कूल थे, जो ग्रेड्स 1–5 तक के ही बच्चों को पढ़ा रहे थे, इस प्रकार समूह अर्थात् स्कूल परिसरों में ताना–बाना स्थापित करने हेतु एक प्रबंध विकसित करने की अत्यधिक आवश्यकता है, जहाँ एक सैकण्डरी स्कूल व अन्य सभी स्कूल होते हैं इस प्रकार समूह (क्लस्टर) में अधिक स्रोत कार्य कुशलता व कार्य, तालमेल, नेतृत्व, शासन व स्कूलों का प्रबंध अधिक प्रभावशाली है इससे न केवल स्रोतों की अधिक से अधिक उपयोगिता सुनिश्चित होगी, अपितु राष्ट्र के भविष्य स्कूल के बच्चों में एकता व एकजुटता की भावना विकसित होगी।

नई शिक्षा नीति–2020 की भाषा अत्यंत सरल, सारगर्भित तथा स्पष्ट है, एक सामान्य व्यक्ति को इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यह नीति बहुत ही अद्भुत है तथा वास्तव में एक सम्पूर्ण राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति करती है, भारत का विश्व गुरू के रूप में प्रतिष्ठित होना अब केवल भावनात्मक विषय नहीं है, यह एक मुख्य नीति निर्धारक तत्व के रूप में शिक्षा नीति के माध्यम से प्रकट हुआ है। 'सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, वैज्ञानिक दृष्टि, नागरिक मूल्य, जीवन कौशल तथा सेवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारक तत्व के रूप में स्थापित हुए है।'

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा : गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब ऐसी शिक्षा है जो प्रत्येक बच्चे के काम आये। इसके साथ ही प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं के संपूर्ण विकास में समान रूप से उपयोगी हो।" यह शिक्षा प्रत्येक बच्चों के लिए उपयोगी है इसके माध्यम से छात्र जीवन कौशलों का विकास कर सकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक बहु आयामी संप्रत्यय है।

"एक अच्छे गुणवत्तापूर्ण स्कूल को आवश्यक रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करानी होती है लेकिन इससे कुछ अधिक की भी जरूरत हो सकती है उदाहरण के लिए सब बच्चों के साथ समान व्यवहार और सबके प्रति निष्पक्षता चाहे वह किसी भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठ भूमि से हो।"

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में गुणवत्तापरक शिक्षा की सुनिश्चितता : स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, स्कूली शिक्षा को रोजगारोन्मुखी और गुणवत्ता परक बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है। विभाग विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों और वैश्विक बाजार के लिए युवाओं को शिक्षित, रोजगार लायक और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उद्देश्य से केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर0एम0एस0ए0) योजना के अन्तर्गत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायिक घटक को कार्यान्वित कर रहा है, इसमें शिक्षित और रोजगार लायक युवाओं के बीच के अन्तर को कम करने, माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की दर कम करने और उच्चतर स्तर पर शिक्षा के दबाब को कम करने पर भी ध्यान दिया गया है। इस योजना में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सामान्य शैक्षिक विषयों के साथ ही खुदरा व्यापार, आटोमोबाइल, कृषि, दूरसंचार, ब्यूटी एण्ड बेलनेस, आईटी, इलेक्ट्रानिक्स, सुरक्षा, मीडिया और मनोरंजन जेसे क्षेत्रों के रोजगारोन्मुख, व्यावसायिक विषय शुरू किये गए है।

माध्यमिक स्तर पर छात्रों को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने के लए आर0एम0 एस0ए0 के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं को वित्तीय सहायता दी गयी है। जिनमें छात्र–शिक्षक अनुपात में सुधार के लिए अतिरिक्त शिक्षक, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण सहित इंडक्शन और इन– सर्विस–ट्रेनिंग, गणित और विज्ञान किट, स्कूल में आईसीटी सुविधाएं, प्रयोगशाला उपकरण एवं सीखने को बढ़ावा देने के लए विशेष प्रशिक्षण शामिल है।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) समय–समय पर तीसरी, पांचवी, आठवीं, और दसवीं कक्षा के छात्रों में सीखने की उपलब्धियों का राष्ट्रीय सर्वेक्षण करता है। अब तक पांचवी कक्षा के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएसए) के चार और तीसरी तथा आठवीं के तीन राउंड हो चुके हैं। इससे यह पता चला कि पहले से चौथे राउंड के दौरान चिन्हित विषयों में छात्रों के सीखने की उपलब्धि के स्तर में काफी सुधार हुआ है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वर्तमान वर्ष से सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक के सभी छात्रों का वार्षिक राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किया जाएगा। प्रारम्भिक सत्र में सभी कक्षाओं के सभी विषयों के लिए (NCERT) 'National Council of Educational Research and Training" द्वारा विकसित सीखने के परिणाम के अनुसार छात्रों में सीखने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा।

गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की एक पहल : स्कली शिक्षा और साक्षरता विभाग, स्कूली शिक्षा को रोजगारोन्मुख और गुणवत्ता पर बनाने के लिए कर्अ कदम उठा रहा है। विभाग विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों ओर वैश्विक बाजार के लिए युवाओं को शिक्षित करने, रोजगार लायक और प्रतिस्पर्द्धी बनाने के उद्देश्य के केन्द्र प्रायोजित "राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" योजनाा के अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिक घटक को कार्यान्वित कर रहा है।

गुणवत्ता शिक्षा के उद्देश्य :

- बच्चों को उनकी मातृभाषा (क्षेत्रीय भाषा) और उनके प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान कराना।
- बच्चों को स्वास्थ्य सम्बंधी नियमों का ज्ञान कराना और स्वास्थ्य बर्द्धक क्रियाओं में प्रशिक्षित करना।

- बच्चों को सांस्कृति क्रियाओं उत्सव, लोकगीत, लोकनृत्य आदि में भाग लेने की ओर अग्रसर करना और सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास करना।
- नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना।
- बच्चों को पर्यावरण प्रदूषण के प्रति सचेत करना, उनमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति की योग्यता को विकसित करना।
- लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास।
- व्यावसायिक कुशलता का विकास।
- नेतृत्व शक्ति का विकास।
- छात्रों में राष्ट्रीय अनुशासन की भावना का विकास करना।
- युवकों में प्रजातांत्रिक मूल्यों–समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और न्याय का संरक्षण एवं संवर्द्धन करना।
- स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना का विकास करना।
- राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की स्थापना।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक गुणवत्ता का येागदान : यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन0पी0ई0) 1986 की जगह लेगी। सबके लिए आसान पहुँच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधार भूत स्तम्भों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत् विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी के जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र लचीला बनाते हुए भारत की एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है।

नये पाठ्यक्रम और शैक्षिक संरचना के साथ प्रारम्भिक बचपन की देखभाल और शिक्षा :

बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जायेगा जो क्रमशः 3–8, 8–11, 11–14 और 14–18 वर्ष के बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3–6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। नई प्रणाली में तीन साल की आंगनवाड़ी/प्रा स्कूलिंग के साथ 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा होगी।

बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना : बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यन्त जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020' में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम0एच0 आर0 डी0) 'Minisrty Of Human Resource Development" द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान एक राष्ट्रीय मिशन' की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य वर्ष 2025 तक सभी प्राथमिक स्कूलों में ग्रेड 3 तक सभी

शिक्षार्थियों द्वारा सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर लेने के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार करेंगे तथा एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जायेगी।

8वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारम्भिक बचपन देखभाल और शिक्षा : बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढाँचा (NCPFECCE) 'National Curricunar And Pedagogical Framework for Eearly Childhood Care And Education" के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। एक विस्तृत और मजबूत संस्थान प्रणाली के माध्यम से प्रारम्भिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ECCE) 'Eearly Childhood Care And Education" मुहैया कराई जाएगी। इसमें आंगनवाड़ी और प्री0स्कूल भी शामिल होंगे जिसमें शिक्षाशास्त्र और पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होगें।

स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला में सुधार : स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन–कला लक्ष्य यह होगा कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यावहारिक जानकारियों से विद्यार्थियों को प्राप्त कराकर उनका समग्र विकास किये जाए और आवश्यक ज्ञान प्राप्ति एवं अपरिहार्य चिन्तन को बढ़ाने व अनुभवात्मक शिक्षण पर अधिक फोकस करने के लिए पाठ्यक्रम को कम किया जाए तथा छात्रों को पसंदीदा विषय चुनने के लिए कई विकल्प दिये जाएगें। कला एवं विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम व पाठ्येत्तर गतिविधियों के बीच और व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विषयों के बीच सख्त रूप में कोई भिन्नता नहीं होगी।

स्कूलों में छठे ग्रेड से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी और इसमें इंटर्नशिप शामिल होगी। एक नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 'NCFSE-2020-21" (Natinal Curriculum Frame Work for School Education), NCERT (National Council of Educational Research And Training) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा विकसित की जाएगी।

बहुभाषावाद और भाषा की ताकत : इस नीति में कम से कम ग्रेड 5 तक अच्छा हो कि ग्रेड 8 तक और उससे आगे भी मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम रखने पर जोर दिया गया है। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जायेगा। त्रि–भाषा फार्मूलें में भी यह विकल्प शामिल होगा।

मूल्यांकन/आकलन में सुधार : राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में योगात्मक आकलन के बजाय नियमित एवं रचनात्मक आकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है, जो अपेक्षाकृत अधिक योग्यता–आधारित हैं, सीखने के साथ–साथ अपना विकास करने को बढ़ावा देता है, और उच्च स्तरीय कौशल जैसे कि विश्लेषण क्षमता, आवश्यक चिंतन मनन करने की क्षमता और वैचारिक स्पष्टता का आकलन करता है। सभी विद्यार्थी ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूली परीक्षाएं देगे, जो उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। ग्रेड 10 एवं 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रखी जाएंगी, लेकिन समग्र विकास करने के लिए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केन्द्र परख (समग्र विकास के लिए कार्य–प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान विश्लेषण) एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा।

समान और सामवेशी शिक्षा : राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठ भूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्तियां सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित नहीं रह जाए। इसके तहत विशेष जोर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों SEDG (Socio Ecomomically Disadvantaged Group) पर रहेगा जिनमें बालक–बालिका,

सामाजिक–सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधी विशिष्ट पहचान एवं दिव्यांगता शामिल हैं। इसमें बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए बालक–बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन की स्थापना करना भी शामिल है। दिव्यांग बच्चों को बुनियादी चरण से लेकर उच्च शिक्षा तक की नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जाएगा जिसमें शिक्षाविशारद का पूरा सहयोग मिलेगा और इसके साथ ही दिव्यांगता सम्बन्धी समस्त प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, आवास सहायक उपकरण, प्रौद्योगिकी–आधारित उपयुक्त उपकरण और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य सहायक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक राज्य/जिले को कला–संबंधी, कैरियर– सम्बन्धी और खेलकूद–सम्बन्धी गतिविधियों में विद्यार्थियों के भाग लेने के लिए दिन के समय वाले एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में 'बाल भवन' स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्कूल की निःशुल्क बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का उपयोग सामाजिक चेतना केन्द्रों के रूप में किया जा सकता है।

स्कूल प्रशासन : स्कूलों को परिसरों या क्लस्टरों में व्यवस्थित किया जा सकता है जो प्रशासन (गवर्नेस) की मूल इकाई होगा और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, शैक्षणिक पुस्तकालयों और एक प्रभावकारी प्रोफेशनल शिक्षक–समुदाय सहित सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

उच्चतर शिक्षा : 2035 तक सकल नामांकन अनुपात GER (Gross Enrolment Ratio) को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना एनईपी 2020 का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3 प्रतिशत (2018) से बढ़ाकर 2035 तक 50 प्रतिशत करना है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी।

समग्र बहुविषयक शिक्षा : नीति में लचीले पाठ्यक्रम, विषयों के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा एवं उपयुक्त प्रमाणन के साथ मल्टीपल एंट्री एवं एक्जिट बिन्दुओं के साथ व्यापक, बहुविषयक, समग्र अवर स्नातक शिक्षा की परिकल्पना की गई है। यूजी शिक्षा इस अवधि के भीतर विविध एक्जिट विकल्पों तथा उपयुक्त प्रमाणन के साथ 3 या 4 वर्ष की हो सकती है। उदाहरण के लिए 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक।

विनियमन : चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग HECI (Higher Education Commission of India) का गठन किया जाएगा।

अध्यापक शिक्षण : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् NCERT (National Council of Educational Research And Training) के परामर्श से, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् NCTE (National Council for Teacher Education) के द्वारा अध्यापक शिक्षण के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा शिक्षक शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2021 NCFTE (National Curriculum frame Wrok for Teacher Education) तैयार किया जाएगा। वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बी0एड्0 डिग्री हो जाएगी। गुणवत्ताविहीन स्वचालित अध्यापक शिक्षण संस्थान टी0ई0ओ0 के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

छात्रों के लिए वित्तीय सहायता : एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 और अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थन प्रदान करना, उसे बढ़ावा देना और उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने यहाँ छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्तियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

खुली और दूरस्थ शिक्षा : सकल नामांकन अनुपात (जी0ई0आर0) को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और डिजिटल संग्रहों, अनुसंधान के लिए वित्तपोषित, बेहतर छात्र सेवाएं, बड़े पैमाने पर मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम MOOC (Massive Open Online Course) द्वारा क्रेडिट आधारित मान्यता आदि जैसे उपायो को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाएगा कि यह उच्चतम गुणवत्ता वाले इन कार्यक्रमों के समतुल्य हों।

ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल : हाल ही में महामारी और वैश्विक महामारी में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों के एक व्यापक सेट को सम्मिलित किया गया है, जिससे जब कभी और जहां भी पारम्परिक और व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने का साधन उपलब्ध होना संभव नहीं है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए, स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई–शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD (Ministry Of Hunam Resource Development) में डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कन्टेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी।

भारतीय भाषाओं को बढ़ावा : सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण विकास और जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए नई शिक्षा नीति द्वारा पाली फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान IITI (Indial Instituate Of Translation and Interpretation) (राष्ट्रीय संस्थान) या संस्थान (की स्थापना करने उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने और ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में, शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/स्थानीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की गई हैं।)

व्यावसायिक शिक्षा : सभी व्यावसायिक शिक्षाओं को उच्च शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया जाएगा। स्वचलित तकनीकी विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों, कानूनी और कृषि विश्वविद्यालयों आदि को उद्देश्य बहु–विषयक संस्थान बनना होगा।

प्रौढ़ शिक्षा : इस नीति का लक्ष्य 2030 तक 100 प्रतिशत युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति करना है।

वित्तपोषित शिक्षा : शिक्षा पहले की तरह लाभ के लिए नहीं व्यवहार पर आधारित होगी जिसके लिए पर्याप्त रूप से धन मुहैया कराया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए, केन्द्र और राज्य मिलकर काम करेंगे जिससे सकल घरेलू उत्पाद GDP (Gross Domestic Product) में इसका योगदान जल्द से जल्द 6 प्रतिशत हो सके।

प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक गुणवत्ता की रूपरेखा–

फाउंडेशन स्टेज : पहले तीन साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री–स्कूलिंग शिक्षा लेगे। फिर अगले दो वर्ष कक्षा एक एवं दो के बच्चें स्कूल में पढ़ेगे। इन पाँच सालों की पढ़ाई के लए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। इसमें मोटे तौर पर एक्टिविटी (Activity) आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा। इसमें तीन से आठ साल तक की आयु के बच्चे सम्मिलित होगें। इस प्रकार पढ़ाई के पहले पाँच साल का चरण पूरा होगा।

प्रीपेरेटरी स्टेज (Priparatery Stage) : इस चरण में कक्षा तीन से पांच तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। इसमें 8 से 11 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शामिल किया जाएगा।

- विषय वस्तु का भार कम किया जाए।
- बच्चों की शिक्षा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में हों।
- 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारम्भिक कक्षा या बाल वाटिका (अर्थात् कक्षा 1 से पहले) जाएगा।
- आयु 6 से 8 वर्ष ग्रेड 1–2 मूलभूत चरण।
- आयु 8 से 11 ग्रेड 3–5 प्रारभिक चरण खेल, खोज और गतिविधि आधारित और इण्टरैक्टिव कक्षा सीखना।

माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक गुणवत्ता की रूपरेखा :

मिडिल स्टेजः– इसमें कक्षा 6–8 तक की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा। इन कक्षाओं में पूर्व निर्धारित एवं विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। इसमें कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएगे।

सेकेण्डरी स्टेजः–इसमें कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई दो चरणों में होगी, जिसमें विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। छात्रों को विषयों की चुनने की स्वतंत्रता भी होगी।

- आयु 11–14 ग्रेड 6–8 मध्यचरण, विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, और मानविकी में अनुभवात्मक शिक्षा।
- आयु 14–18 ग्रेड 9–12 माध्यमिक चरण, बहुविषयक अध्ययन, अधिक महत्वपूर्ण सोंच, लचीलापन और विषयों के छात्र की पसंद में स्वतंत्रता।
- स्कूली पाठ्यक्रम को 10+2 की जगह पर 5+3+3+4 की नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी।
- नेशनल एसेसमेंट सेन्टर ''परख'' 'प्रदर्शन आंकलन, समीक्षा और समग्र विकास के लिये ज्ञान का विश्लेषण' (Performance Assessment, Review and Analysis Knowledge for Holistic Devlopment) बनाया जाएगा, जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय–समय पर परीक्षण किया जायेगा।

उच्च स्तर पर शैक्षिक गुणवत्ता की रूपरेखाः

- उच्च शिक्षा में मल्टीपल इंट्री और एग्जिट का विकल्प।
- उच्च शिक्षा के लिए एक ही रेग्यूलेटर व्यवस्था।
- नेशनल रिसर्च फांउडेशन NRF (National Reaserch Foundation) की स्थापना होगी।
- शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा देना।
- दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा में बदलाव।
- 2030 तक प्रत्येक जिले में कम से कम एक बड़ी बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण किया जाएगा।
- यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 को भारत एकल उच्च शिक्षा नियामक HECI (Higher Eudcation Commission of India) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- विश्वविद्यालयों का नाम स्वामित्व के आधार पर नहीं बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर रखा जायेगा।

- भारत का उच्च शिक्षा आयोग HECI के 4 कार्य क्षेत्र राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद या HNERC, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (NAC), उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (HEGC) और सामान्य शिक्षा परिषद (GEC) बनने के लिए जो आगे चलकर एक राष्ट्रीय शिक्षा योग्य फ्रेमवर्क बनाएंगे।
- इंडियन कांउसिल फार एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR) वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया (VCI) नेशनल कांउसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE), काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (COA), नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (NCVET) जैसी व्यावसायिक परिषदें आदि व्यावसायिक मानक सेटिंग निकायों (PSSBs) के रूप में कार्य करेगा।

सुझाव :

- एन0सी0ई0आर0टी0 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारम्भिक बचपन देखभाल और शिक्षा (NCPFECCE) के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा।
- सामाजिक और आर्थिक नजरिए से वंचित समूहों SEDG (Socio Economically) Disadvantaged Group) की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाये।
- शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक (NPST) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित कर लिया जाये। जिसके लिए NCERT, SCERT शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया जाए।
- जी0डी0पी0 का छह फीसद शिक्षा में लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है जो अभी 4.43 प्रतिशत है, इसे जल्द छह फीसदी में परिवर्तन किया जाए।
- नई शिक्षा लक्ष्य 2030 तक 3–18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सम्पूर्ण रूप से प्रदान कराया जाए।
- छठी कक्षा के बाद से ही इंटर्नशिप शिक्षा की व्यवसा करवाई जाए, इसके अलावां म्यूजिक और आर्ट्स शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाए तथा इसे पाठ्यक्रम में लागू किया जाए।
- उच्च शिक्षा में मल्टीपल इंट्री और एग्जिट का विकल्प देने की व्यवस्था।
- सरकारी और प्राइवेट शिक्षा मानक समान हों।
- शिक्षा में तकनीकी को अधिक बढ़ावा दिया जाए।
- छात्रों के लए विषय वस्तु का भार कम किया जाए।
- स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता प्रत्येक पाँच वर्षों में समीक्षा की जाए।
- शिक्षक शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसे NCFTE 2021, NCERT द्वारा NCERT, के परामर्श से बनाया जाए। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी0एड0 डिग्री की व्यवस्था किया जाए।
- अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन के लिए पाठ्यक्रम सन0सी0ई0 आर0टी0 द्वारा तैयार कराया जाए।
- सामाजिक और आर्थिक नजरिए से वंचित समूहों (SEDG) की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाए।

- 2040 तक प्रत्येक जिले में कम से कम एक बड़ी बहु विषयक उच्च शिक्षा संस्थान बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाए।
- छात्रों के कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जाए।
- सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सीखने के एक ही मानक होंगे और शुक्ल भी एक समान होना चाहिए।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (National Council of Education Research and Training- NCERT) द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (National Curricular from work for School Educational –NCFSE, 2020-21) तैयार करना।
- छात्र कक्षा 3, 5 और के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे जिन्हे उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा।

निष्कर्ष :–उपर्युक्त जन विषयों पर हमने चर्चा की है वे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ खास बिन्दु हैं। इसके अतिरिक्त दस्तावेज में विस्तृत रूप में कई विषयों को रखा गया है जिस पर चर्चा हो रही है, जैसे प्रस्तावित नई शिक्षाा नीति में यह विवरण दिया गया है कि किस तरह नये शिक्षा ढांचे के अनुरूप शिक्षकों को तैयार किया जाए, किस तरह से संसाधन जुटाये जाए। शिक्षा के विभिन्न स्तर पर बच्चों के अभिभावकों की सहभागिता कैसे बढ़ाई जाए। इसके पहले 1986 में नयी शिक्षा नीति आयी थी, जिसमें बाद में 1992 में कुछ सुधार किए गए, तथा इतने वर्ष बाद अब इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप सामने आया हैं यह नयी शिक्षा नीति बच्चों के भविष्य को बेहतरीकरण बनाने के उद्देश्य से लाया गया है।

सन्दर्भ :–

1. पाठक पी0डी0 (2014–15: 'भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं' अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा।
2. आचार्य, पं0श्रीराम शर्मा : 'शिक्षा एवं विद्या', अखण्ड ज्योति संस्थान, मथुरा। (2012)
3. लाल, रमन बिहारी (2008) : 'भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएं', रस्तोगी पब्लिकेशन्स मेरठ।
4. अग्रवाल, उमेशचन्द्र (2006) : भारतीय आधुनिक शिक्षा के बदलते आयाम, भारतीय आधुनिक शिक्षा N.C.E.R.T. नई दिल्ली।
5. सिंह भगवती शरण (1991) : 'आधुनिक भारत के निर्माता', आचार्य नरेन्द्र देव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
6. नायक जे0पी0 (1972) : इकवलिटी क्वालिटी एंड क्वालिटी, द इलूसिव ट्रिंगल इन इंडियन एजुकेशन, नई दिल्ली।
7. अरविन्दो (1948): ए सिस्टम ऑफ नेशनल, आर्या पब्लिशिंग हाउस कलकत्ता।
8. sodhaganga.inflibnet.ac.in
9. hattps :// educationmirror.org